**संख्या-6/2022/3567/77-6-2021-6002(099)/3/2021**पार्ट-2

प्रेषक,

रजनी कान्त पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त आयुक्त,
उद्योग,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

**औद्योगिक विकास अनुभाग-6** **लखनऊ: दिनांक: 14 जनवरी, 2022**

विषय:- पूंजीगत ब्याज उपादान योजना-2012 के क्रियान्वयन हेतु रू.93,98,000.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पिकप के पत्रांक-इन्स-10-2/सी0आई0एस0एस0/12-13/Vol.II/1281, दिनांक 15.12.2021, द्वारा पूंजीगत ब्याज उपादान योजना-2012 हेतु पात्र इकाई मेसर्स गंगा पल्प एण्ड पेपर्स प्रा0लि0, चन्दौली को पिकप द्वारा स्वीकृति पूंजीगत ब्याज उपादान वितरित करने हेतु प्राविधानित बजट व्यवस्था के सापेक्ष रू.93,98,041.00 की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की संस्तुति सहित अनुरोध किया गया है। पात्र इकाई का विवरण निम्नवत हैं:-

| **क्रमांक** | | **वर्ष** | **धनराशि** |
|---|---|---|---|
| **1** | **मे0 गंगा पल्प एण्ड पेपर्स प्रा0लि0, चन्दौली ।** | **2017-18** | **50,00,000.00** |
| | **तदैव** | **2018-19** | **43,98,041.00** |
| | | **योग-** | **93,98,041.00 (रु0 तिरानवे लाख अट्ठानवे हजार इकतालिस मात्र)** |

2. इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूंजीगत ब्याज उपादान योजना-2012 के क्रियान्वयन हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक नीति-2012 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में लेखाशीर्षक-2885-60-800-19-अवस्थापना एवं औद्योगिक नीति-2012 का क्रियान्वयन-27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि रू.306.52 करोड़(रूपया तीन सौ छः करोड़ बावन लाख मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से रू.93,98,000.00(रूपया तिरानबे लाख अट्ठानवे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. धनराशि भुगतान जिस संस्था को किया जाना है उसके खाते में सीधे जमा की जाएगी।
2. किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/ अन्य किसी खाते में नहीं रखा जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।
4. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जाएगा।
5. स्वीकृत धनराशि उन पात्र इकाईयां को उपलब्ध करायी जाएगी जो शासनादेश संख्या- 1415/77-6-12-08(एम)/12टी.सी. दिनांक 30.11.2012 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों को पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करती हों।
6. यह धनराशि ऐसी पात्र इकाईयों, जिनका प्रत्यावेदन पिकप में प्राप्त हो या आगे प्राप्त होंगे को उनके प्राप्त प्रत्यावेदन के यथाक्रम में वरीयतानुसार आवश्यक औपचारिकताएं एवं अनुबन्ध पूर्ण कराते हुए उपलब्ध करायी जाएगी।
7. स्वीकृति धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जाएगा। आवश्यकता का आंकलन आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर द्वारा किया जाएगा।
8. स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनाक 22.03.2021 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
9. पिकप द्वारा धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व इकाई की पात्रता एवं आंकड़ों की शुदधता का परीक्षण कर देय धनराशि के संबंध में संतुष्ट हो लेंगे तथा पिकप द्वारा इस आशय की आख्या संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को उपलब्ध करायी जाएगी।
10. स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबन्ध निदेशक, पिकप द्वारा हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर के माध्यम से शासन के औद्योगिक विकास अनुभाग-6 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4 को उपलब्ध कराया जाएगा।
11. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के उद्योग विभाग के अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक 2885-उद्ययोगो तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय (क्रमश:)-60-अन्य (क्रमश:)-800-अन्य व्यय (क्रमश:)-19-अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 का कार्यान्वयन-27 सब्सिडी के नामे डाला जाएग।

3- यह आदेश वित्त (आय-नियंत्रण) अनुभाग-6 के अशा0सं0-ई-6-3436-दस-2021-22 दिनांक 14.01.2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय,
रजनी कान्त पाण्डेय
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

**संख्या- 6/2022/3567(1)/77-6-2021-6002(099)/3/2021पार्ट-2,तद्दिनांक-**

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, प्रथम/ दवितीय, (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
3. अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग उ0प्र0 शासन।
4. प्रबन्ध निदेशक, पिकप को पत्रांक-इन्स-10-2/सी0आई0एस0एस0/12-13/Vol.II /1281, दिनांक 15.12.2021 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।
5. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर।
6. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
7. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
10. नियोजन अनुभाग-1/4
11. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रजनी कान्त पाण्डेय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।